पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी–बिरकोना मार्ग ,बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 240752,240712

www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र. 1043/RSD/2021

बिलासपुर, दिनांक 16/08/2021

प्रति,

प्राचार्य / समन्वयक
महाविघालय / समस्त अध्ययन केन्द्र
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविघालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषयः– विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र परिवर्तन ,परीक्षा केंद्र परिवर्तन, पाठयक्रम / संकाय परिवर्तन,फीस वापसी ,पात्रता सम्बंधित के सम्बन्ध में |

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र / छात्राओं हेतु विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक संख्या 04/ नियमित / 2021 में अध्ययन केंद्र परिवर्तन ,परीक्षा केंद्र परिवर्तन, पाठयक्रम / संकाय परिवर्तन,फीस वापसी ,पात्रता सम्बंधित नियम का निर्धारण किया गया | उक्त नियम तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगे

अध्ययन केन्द्र परिवर्तन हेतु नियम :–

- नौकरी में स्थानांतरण , नई नौकरी में पदस्थापना , विवाह उपरांत स्थान परिवर्तन या स्थायी आवास में परिवर्तन सम्बंधित उचित कारण होने पर अध्ययन केंद्र में परिवर्तन पर विचार किया जायेगा |
- अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन अध्ययन केंद्र एवं क्षेत्रीय कार्यलाय के माध्यम से निर्धारित शुल्क रु. 1000 /- (एक हजार मात्र) के चालान के साथ निर्धारित परीक्षा तिथि के 45 दिवस पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा |

परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु नियम :–

- परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क रू 500/– (पांच सौ मात्र) के चालान के साथ आवेदन करने पर परीक्षा केन्द्र परिवर्तन पर विचार किया जायेगा।
- परीक्षा केंद्र में परिवर्तन उचित कारण जैसे किसी गंभीर बीमारी ,आपदा स्थानांतरण जैसे विषम परिस्थिति में ही परीक्षा प्रवेश पत्र जारी होने के पूर्व आवेदन करने पर ही परीक्षा केंद्र परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है |

पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन हेतु नियम :–

- पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तन हेतु आवेदन अध्ययन केंद्र एवं क्षेत्रीय कार्यलाय के माध्यम से प्रवेश के अंतिम तिथि के पश्चात 30 दिवस पूर्व आवेदन करने पर ही विचार किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तन निर्धारित शुल्क रू 700/– (सात सौ) चालान के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तन में पाठ्यक्रम शुल्क की राशि कम होने पर अंतर की राशि का समायोजन कर बचत राशि वापस कर दिया जायेगा और ज्यादा राशि होने पर चालान के माध्यम से जमा करना होगा |
- पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तन हेतु अगर पाठ्य सामाग्री प्राप्त हो गया हो तो पाठ्य सामाग्री जमा की पावती लगाना अनिवार्य होगा।
- यदि विद्यार्थी द्वारा त्रुटि वश गलत विषय का चयन / पूर्व के स्थान पर अंतिम हो गया है तब आवेदन के साथ पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क रु 700/– जमा करना अनिवार्य होगा।
- डाक द्वारा पुनः पाठ्य सामाग्री भेजने के लिए डाक व्यय का रू 300/-- का अतिरिक्त चालान के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा जिसके पश्चात ही पाठ्य सामाग्री भेजी जाएगी।

फीस वापसी संबन्धित नियम :–

- यदि कोई विद्यार्थी वि.वि. में संचालित किसी भी पाठ्यक्रम मे प्रवेश लिया है, और किसी कारणवश अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है, तो उसके प्रवेश तिथि से 30 दिनों के अंदर तक आवेदन करना अनिर्वाय होगा ।
- पेमेंट गेटवे द्वारा तकनीकी कारणो से यदि विद्यार्थी द्वारा किसी एक आवेदन के लिये एक से अधिक बार शुल्क का भुगतान किया जाता है, तब उस अतिरिक्त जमा राशि को पेमेट करने वाले के खाते मे गेटवे के माध्यम से राशि को पुनः वापस (Reverse) कर दिया जायेगा।
- छात्र द्वारा एटीकेटी का आवेदन किया है बाद मे पुर्नमूल्यांकन/पुर्नगणना के लिये भी आवेदन किया है, यदि वह पुर्नमूल्यांकन/पुर्नगणना मे उत्तीण हो जाता है तब एटीकेटी का शुल्क वापस किया जायेगा।
- यदि छात्र को डाक द्वारा पाठ्यसमाग्री भेजा जा चुका है और वह पाठ्यसमाग्री वापस कर आवेदन करता है तो भी पाठ्यसमाग्री शुल्क वापस नही होगा।
- यदि कोई छात्र अर्हता पूर्ण नहीं होने के कारण पाठ्यक्रम परिवर्तन करता है तब अंतर की राशि मे 10 प्रतिशत कटौती कर वापस किया जायेगा।
- चालान के माध्यम से जमा राशि को ऑनलाइन अपडेट नहीं करा पाने के कारण शुल्क वापसी हेतु आवेदन करने पर 10 प्रतिशत कटौती कर शुल्क वापस किया जायेगा।

पात्रता संबन्धित नियम :–

- यदि कोई विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर या किसी अन्य राज्य से अपनी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है और वह वि.वि. मे संचालित किसी भी पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेना चाहता है, तो प्रवेश के अंतिम तिथि के बाद 40 दिन के अंदर पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
- यदि कोई विद्यार्थी वि.वि. मे संचालित किसी भी पाठ्यक्रम मे लेटरल एंट्री के तहत प्रवेश लेना चाहता है/न्यूनतम अर्हता के संदर्भ मे पात्रता की आवश्यकता हो तब उन्हे पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

- **पात्रता प्रमाण पत्र हेतु विद्यार्थी को आवेदन के साथ न्यूनतम अर्हता शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रति व रू 100/– का चालान के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।**

क्षेत्रीय समन्वयक

पृ.क्र. 1044/RSD/2021 बिलासपुर, दिनांक 16/08/2021

प्रतिलिपि:–

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय समन्वयक क्षेत्रीय कार्यालय – बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अम्बिकापुर जशपुर एव कांकेर को सूचनार्थ।
4. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
5. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।

16/08/2021

क्षेत्रीय समन्वयक

क्षेत्रीय सेवा प्रभाग